इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 608] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 नवम्बर 2010—अग्रहायण 4, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2010

क्र. 18 एफ 1-38-2010-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 के साथ पठित धारा 37 तथा 73 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 तथा 356 के साथ पठित धारा 70 तथा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका (मेयर-इन-काउंसिल/प्रेसीडेंट-इन काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 5 में,—

(एक) उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) विभिन्न प्राधिकारियों में, निम्नानुसार वित्तीय अधिकार वेष्ठित होंगे, अर्थात्:—

(एक) नगरपालिक निगम के मामले में—

अनुक्रमांक	प्राधिकारी	जनसंख्या	
		तीन लाख से अधिक	तीन लाख तक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नगरपालिक आयुक्त	रुपये बीस लाख तक	रुपये चार लाख तक
2.	महापौर	रुपये बीस लाख से अधिक किन्तु रुपये पचास लाख से अधिक न हो.	रुपये चार लाख से अधिक किन्तु रुपये बीस लाख से अधिक न हो.

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	मेयर-इन-काउंसिल	रुपये पचास लाख से अधिक किन्तु रुपये दो करोड़ से अधिक न हो.	रुपये बीस लाख से अधिक किन्तु रुपये पचास लाख से अधिक न हो.
4.	निगम	रुपये दो करोड़ से अधिक	रुपये पचास लाख से अधिक

परन्तु बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं या डिपाजिट वर्क के मामले में, राज्य सरकार, आदेश द्वारा, आयुक्त या मेयर-इन-काउंसिल को ऐसी बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, जैसी कि वह उचित समझे, प्राधिकृत कर सकेगी:

परन्तु यह और कि नगरपालिक निगम की मेयर-इन-काउंसिल तथा नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत की प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल को केन्द्र द्वारा प्रायोजित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण मिशन, लघु तथा मध्यम शहरों की नगरीय अधोसंरचना विकास स्कीम और एकीकृत आवास एवं गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम से संबंधित परियोजनाओं के मामलों में पूर्ण वित्तीय शक्तियां होंगी.

(दो) नगरपालिका परिषद् तथा नगर पंचायत के मामले में—

अनुक्रमांक (1)	प्राधिकारी (2)	नगरपालिका परिषद् (3)	नगर पंचायत (4)
1.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	रुपये पचास हजार तक	रुपये पच्चीस हजार तक
2.	अध्यक्ष	रुपये पचास हजार से अधिक किन्तु रुपये तीन लाख से अनधिक.	रुपये पच्चीस हजार से अधिक किन्तु रुपये एक लाख से अनधिक.
3.	प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल	रुपये तीन लाख से अधिक किन्तु रुपये दस लाख से अनधिक.	रुपये एक लाख से अधिक किन्तु रुपये पांच लाख से अनधिक.
4.	परिषद्	रुपये दस लाख से अधिक किन्तु रुपये दो करोड़ से अनधिक.	रुपये पांच लाख से अधिक किन्तु रुपये पचास लाख से अनधिक.
5.	आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास.	रुपये दो करोड़ से अधिक किन्तु रुपये चार करोड़ से अनधिक.	रुपये पचास लाख से अधिक किन्तु रुपये चार करोड़ से अनधिक.
6.	मध्यप्रदेश शासन	रुपये चार करोड़ से अधिक	रुपये चार करोड़ से अधिक'';

(दो) उपनियम (3) का लोप किया जाए.

Bhopal, the 25th November 2010

No. 18 F. 1-38-2010-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Section 37 and 73 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 and 356 read with Section 70 and 110 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government,

hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Municipalities (the Conduct of Business of the Mayor-in-Council/President-in-Council and the powers and functions of the Authorities) Rules, 1998, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 5,—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) The financial powers shall be vested in the various authorities as under:—

(i) In case of Municipal Corporation-

S. No.	Authority	Population	
		Above three lacs	Up to three lacs
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MunicipalCommissioner	Up to rupees twenty lacs.	Up to rupees four lacs
2.	Mayor	Exceeding rupees twenty lacs but not exceeding rupees fifty lacs.	Exceeding rupees four lacs but not exceeding rupees twenty lacs.
3.	Mayor-in-Council	Exceeding rupees Fifty lacs but not exceeding rupees two crores.	Exceeding rupees twenty lacs but not exceeding rupees fifty lacs.
4.	Corporation	Exceeding rupees two crores	Exceeding rupees fifty lacs:

Provided that in case of externally aided projects or deposit works, the State Government may, by order, authorize the Commissioner or the Mayor-in-Council to exercise such enhanced financial powers, as it may deem fit:

Provided further that the Mayor-in-Council of the Municipal Corporation and the President-in Council of the Municipal Council/Nagar Panchayat shall have full financial power in the cases of projects relating to the centrally sponsored Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission, Urban Infrastructure Development Scheme of Small and Medium Towns and Integrated Housing and Slum Development Programme.

(ii) In case of Municipal Council and Nagar Panchayat—

S. No.	Authority	Municipal Council	Nagar Panchayat
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Chief Municipal Officer.	Up to rupees fifty thousand	up to rupees twenty five thousand
2.	President	Exceeding rupees fifty thousand but not exeeding rupees three lacs.	Exceeding rupees twenty five thousand but not exceeding rupees one lac.
3.	President-in-Council	Exceeding rupees three lacs but not exceeding rupees ten lacs.	Exceeding rupees one lac but not exceeding rupees five lacs.
4.	Council	Exceeding rupees ten lacs but not exceeding rupees two crores.	Exceeding rupees five lacs but not exceeding rupees fifty lacs.
5.	Commissioner, Urban Administration and Development	Exceeding rupees tow crores but not exceeding rupees four crores.	Exceeding rupees fifty lacs but not exceeding rupees four crores.
6.	State Government	Exceeding rupees four crores	Exceeding rupees four crores";

(ii) sub-rule (3) shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. एस. परिहार, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.